(64)

मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक आर–148/बी/19/2015
प्रति,

भोपाल दिनांक /3/2015

समस्त मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मध्य प्रदेश

विषयः– सामग्री क्रय करने के संबंध में ।

—0—

शासन की जानकारी में तथ्य आया है कि कई कार्यपालन यंत्रियों व्दारा मुख्य अभियंता से अनुमोदन लेकर राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से बिना निविदा के रोड सेफ्टी आयटम्स,साईन बोर्डस,केश बेरियर्स आदि रोड फर्नीचर सामग्री क्रय की गई है । बिना निविदा के इस प्रकार से क्रय किया जाना भंडार क्रय नियम का स्पष्ट उल्लंघन है । भंडार क्रय नियम 14 (ई) में मात्र आफिस स्टेशनरी आदि राज्य सहकारी उपभौकता संघ के माध्यम से क्रय करने की अनुमति दी गई है । इस प्रकार से बिना निविदा के नियम विरुद्ध कोई भी सामग्री का क्रय नहीं किया जाये ।

यह भी पाया गया है कि सड़क निर्माण,सुदृढीकरण या नवीनोकरण के प्राक्कलन में रोड सेफ्टी आयटम्स,साईन बोर्डरा केश बेरियर्स,रोड फर्नीचर आदि का प्रावधान न होने के बावजूद प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमानित लागत में से राशि बचने की दशा में लघु उद्योग निगम अथवा राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से सामग्री क्रय की गई है । यह प्रक्रिया पूर्णतः अनियमित है । इस प्रकार के आयटम्स का प्रावधान आवश्यकतानुसार मूल प्राक्कलन में ही किया जाकर स्वीकृति प्राप्त की जाये तथा मूल कार्य की निविदा के साथ ही इन कार्यों के संपादन की कार्रवाई की जाये । कार्य के संपादन के समय यदि सुरक्षा अथवा अन्य कारणों से कुछ आयटम्स का समावेश किया जाना आवश्यक हो जो कि स्वीकृत प्राक्कलन एवं /या मूल अनुबंध में सम्मिलित नहीं है एवं चाहे कार्य पर बचत हो रही हो अथवा नहीं, इस प्रकार के आयटम्स के संपादन हेतु मुख्य अभियंता संपूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रमुख अभियंता के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लघु उद्योग निगम अथवा अन्य एजेंसीज व्दारा जो प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग के कार्य किये जाते है उन्हें सप्लाई न माना जाकर कार्य माना जाना अनियमित है ।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायें ।

(चंद्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक आर–148/बी/19/2015/172 —2—

प्रतिलिपिः—

भोपाल दिनांक 2/3/2015

1. विशेष सहायक,माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक,प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल ।
4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर,पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग भोपाल ।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग,मध्य प्रदेश ।
6. प्रभारी आई.टी.सेल कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि. उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.

आ.क्र. 20530

दि. 9/3/15